बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)
आदेश

का0आ0सं0– AL-942/220/2022-SEC_8-...3974.../–श्री जयशंकर प्रसाद, उच्चवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, सारण, छपरा द्वारा जिला निबंधन कार्यालय, सारण, छपरा के पदस्थापन अवधि में भूमि का सही रूप से स्थल जाँच नहीं करने के कारण निबंधित दस्तावेज संख्या 1852/2018 एवं 1977/2018 में राजस्व क्षति का मामला प्रकाश में आया, जो कि बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3(1) के तहत सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल पाया गया।

2. उक्त के संदर्भ में श्री जयशंकर प्रसाद, उच्चवर्गीय लिपिक, के विरूद्ध जिला अवर निबंधक, सारण, छपरा द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसके आलोक में श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित किया गया तथा गठित आरोप–पत्र में इनके विरूद्ध लगाए गए आरोप के आलोक में कई बार स्पष्टीकरण की मांग उनसे की गयी, परन्तु आरोपी के द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग में प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. आरोपी का स्पष्टीकरण अप्राप्त की स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोप प्रपत्र में विनिर्दिष्ट आरोप की जाँच हेतु विभागीय कार्यालय आदेश सं0–2953, दिनांक–06.06.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी तथा जिला अवर निबंधक, मुजफ्फरपुर को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हुए जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया ।
4. उक्त के अनुपालन में संचालन पदाधिकारी–सह–सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री प्रसाद, के विरूद्ध लगाये गये आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया।
5. आरोपी कर्मी के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के आलोक में आरोपी कर्मी श्री प्रसाद से विभागीय पत्रांक–2958 दिनांक–03.06.2025 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी, जिसके अनुपालन में उनका द्वितीय बचाव बयान प्राप्त हुआ, जिसमें श्री प्रसाद के द्वारा जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा राजस्व क्षति के लिए उत्तरदायी ठहरायी गये कर्मियों के नाम का स्पष्ट उल्लेखित पत्र, जो विभाग को प्रेषित किये गये हैं तथा अंचलाधिकारी के द्वारा लेख्यगत खेसरा पंजी में अंकित सिंचित कृषि योग्य भूमि होने के आधार पर उनके द्वारा आरोप से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया ।
6. तदालोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त आरोपी कर्मी के विरूद्ध आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। अतएव समीक्षोपरांत आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव को अस्वीकृत करते हुए श्री जयशंकर प्रसाद, उच्चवर्गीय लिपिक, तत्कालीन एवं सम्प्रति जिला निबंधन कार्यालय, सारण, छपरा, को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3(1) के तहत सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल कार्य करने के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत धारा 14 के अधीन लघु दण्ड के रूप में निन्दन (आरोप वर्ष–2018–19) का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।
7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– AL-942/220/2022-SEC_8 - 3974 /– पटना, दिनांक– 15.07.25

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना /समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, सारण, छपरा/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण, छपरा/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, सारण, छपरा/जिला अवर निबंधक, सारण, छपरा/प्रशाखा पदाधिकरी, प्रशाखा–06/आई0टी मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/श्री जयशंकर प्रसाद, उच्चवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, सारण, छपरा, सम्प्रति जिला निबंधन कार्यालय, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/7/25

सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

15.07.25